[illegible]

## निर्णय

दिनांक 06/06/25

[illegible] के संबंध में यह बात स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा [illegible] धारा 128 [illegible] आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि [illegible] खसरा नम्बर [illegible] 0.3415 है, खसरा नम्बर [illegible] 0.3794 है, जो कि ग्राम कनेसर पटवार हल्का कानरिया तहसील निवाई से स्थित है। [illegible] निवाई ने प्रार्थी पक्ष वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार पाया है। प्रार्थीगण पक्ष वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार कर पक्ष वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अपार्थी की तलबी की गई, अपार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण पक्ष वर्णित आराजियात का निर्विवाद खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में पक्ष वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

## आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लोक राजस्व एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 242/5 रकबा 0.2529 है0, खसरा नम्बर 630 रकबा 0.3415 है0, खसरा नम्बर 68/5 रकबा 0.3794 है0, वाके ग्राम कनेसर पटवार हल्का कानरिया तहसील निवाई जिला टोंक का पटवारी/भू.अभि. की टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पुलिस उपाधीक्षक वृत्त निवाई को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस जाप्ता मांगे जाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जावे।

यह निर्णय दिनांक 06/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिल खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला टोंक